विहंगावलोकन

विहंगावलोकन

यह प्रतिवेदन दो भागों में है जिसमें चार अध्याय हैं। अध्याय-1 एवं अध्याय-2 पंचायती राज संस्थाओं से और अध्याय-3 एवं अध्याय-4 शहरी स्थानीय निकायों से सम्बंधित हैं। इस विहंगावलोकन में महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों का सार दिया गया है।

भाग-क: पंचायती राज संस्थाएं

संविधान (तेहतरवें संशोधन) अधिनियम, 1992 में निहित प्रावधानों के अनुरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 के अंतर्गत तीन स्तरीय पंचायती राज सरंचना स्थापित की गयी। राज्य सरकार द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को 15-लाईन विभागों से सम्बंधित कार्य सौंपे गये।

अध्याय-1: पंचायती राज संस्थाओं की रूपरेखा

- पंचायती राज संस्थाओं की प्राथमिक लेखापरीक्षा निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखापरीक्षा विभाग (एच.पी एस.ए.डी) द्वारा की जा रही है। राज्य सरकार ने नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 20 (1) के तहत तकनीकी मार्गदर्शन तथा सहायता प्रदान करने की जिम्मेदारी के साथ नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को पंचायती राज संस्थाओं की लेखापरीक्षा सौंपी है (मार्च 2011)।

(परिच्छेद 1.2)

- मार्च 2019 तक राज्य में 12 जिला परिषदें, 78 पंचायत समितियां एवं 3,226 ग्राम पंचायतें हैं।

(परिच्छेद 1.3)

- पंचायती राज संस्थाओं में विभिन्न संवर्गों में तकनीकी और गैर-तकनीकी कर्मी है। पंचायती राज संस्थाओं में मार्च 2019 तक कुल संस्वीकृत पदों 9465 के प्रति 413 रिक्त पद थे।

(परिच्छेद 1.3.2)

- विकास गतिविधियों एवं योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए पंचायती राज संस्थाओं के मूल संसाधनों में (क) केंद्रीय वित्त आयोग अनुदान, (ख) राज्य वित्त आयोग अनुदान, (ग) केंद्र सरकार अनुदान तथा विकास (घ) राज्य सरकार अनुदान शामिल हैं। वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 में पंचायती राज संस्थाओं को क्रमशः ₹ 1457.99 करोड़ एवं ₹ 1757.57 करोड़ की निधियां आवंटित की गयी।

(परिच्छेद 1.4.1)

- पंचायती राज संस्थाओं में लेखांकन प्रणाली के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा पंचायती राज संस्थाओं में आदर्श लेखांकन संरचना के अनुसार लेखों के अनुरक्षण हेतु पंचायती राज मंत्रालय द्वारा विकसित पीआरआईए सॉफ्ट नामक सॉफ्टवेयर अपनाया गया था (मार्च 2011)।

(परिच्छेद 1.5)

- वर्ष 2017-19 के दौरान 457 पंचायती राज संस्थाओं की हिमाचल प्रदेश राज्य लेखापरीक्षा विभाग द्वारा लेखापरीक्षा की गई जबकि उक्त वर्षों के दौरान निदेशक, पंचायती राज के अधीन लेखापरीक्षा विंग द्वारा 4,843 पंचायती राज संस्थाओं की आंतरिक लेखापरीक्षा संचालित की गयी।

(परिच्छेद 1.7)

अध्याय-2: पंचायती राज संस्थाओं की लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 के दौरान क्रमशः तीन जिला परिषदों, नौ पंचायत समितियों एवं 45 ग्राम पंचायतों तथा तीन जिला परिषदों, सात पंचायत समितियों एवं 103 ग्राम पंचायतों की लेखापरीक्षा की गयी। पंचायती राज संस्थाओं की लेखापरीक्षा के मुख्य बिंदु निम्न है:

- प्राप्तियों व व्यय के आंकड़ों एवं पीआरआईए सॉफ्ट में अपलोड किए गए आंकड़ों के बीच अंतर।

(परिच्छेद 2.1.2)

- बैंक विवरणी के साथ रोकड़ बही की शेष राशि का मिलान न होना।

(परिच्छेद 2.1.4)

- खाता- 'क' में ₹ 12.26 लाख की राशि का शराब उपकर जमा न करना।

(परिच्छेद 2.1.6(ii))

- कार्य प्रारंभ न करने के कारण ₹ 1.37 करोड़ की निधियां अव्ययित रही।

(परिच्छेद 2.3.1)

- कार्य पूर्ण न होने के कारण ₹ 1.95 करोड़ की निधियां अव्ययित रही।

(परिच्छेद 2.3.2)

- 13वें वित्त आयोग के तहत प्राप्त ₹ 5.12 करोड़ की निधियां कार्य प्रारंभ न होने, अपूर्ण कार्यों तथा निधियां जारी न करने के कारण अप्रयुक्त रही।

(परिच्छेद 2.3.3)

- 14वें वित्त आयोग के तहत प्राप्त ₹ 8.16 करोड़ की निधियां कार्यों के पूर्ण न होने के कारण अप्रयुक्त रही।

(परिच्छेद 2.4.1)

- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत श्रमिकों को ₹ 57.11 लाख की मजदूरी के भुगतान में 15 से 518 दिनों के मध्य की अवधि का विलम्ब हुआ।

(परिच्छेद 2.6)

- एक सौ बाईस पंचायती राज संस्थाओं ने कोटेशन/ निविदाएं आमंत्रित किए बिना ₹ 8.74 करोड़ की लागत से सामग्री खरीदी।

(परिच्छेद 2.10)

- 35 ग्राम पंचायतों में ₹ 72.39 लाख के सरकारी धन का अनियमित भुगतान।

(परिच्छेद 2.11)

भाग-ख: शहरी स्थानीय निकाय

74वें संविधान (संशोधन) अधिनियम, 1992 ने शक्तियों के विकेंद्रीकरण एवं शहरी स्थानीय निकायों को निधियों तथा अधिक कार्यों के हस्तांतरण एवं सुपुर्दगी का मार्ग प्रशस्त किया। शहरी स्थानीय निकायों को आत्मनिर्भर बनाना तथा उनके अधीन क्षेत्रों की जनता को बेहतर नागरिक सुविधाएं उपलब्ध करवाना इसका उद्देश्य था। उक्त अधिनियम के प्रावधानों के कार्यान्वयन हेतु हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 एवं हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1994 को अधिनियमित किया। हिमाचल प्रदेश में शहरी स्थानीय निकायों को 17 कार्य हस्तांतरित कर दिए गए हैं।

अध्याय-3: शहरी स्थानीय निकायों की रूपरेखा

- शहरी स्थानीय निकायों की प्राथमिक लेखापरीक्षा निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखापरीक्षा विभाग द्वारा संचालित की जा रही है। राज्य सरकार ने शहरी स्थानीय निकायों की लेखापरीक्षा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा शर्तें अधिनियम 1971 की धारा 20(1) के तहत तकनीकी मार्गदर्शन एवं सहायता उपलब्ध करवाने के उत्तरदायित्व के साथ नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को सौंपी है (मार्च 2011)।

(परिच्छेद 3.2)

- 31 मार्च 2019 तक राज्य में दो नगर निगम, 31 नगर परिषदें एवं 21 नगर पंचायतें हैं।

(परिच्छेद 3.3)

- शहरी स्थानीय निकायों में विभिन्न संवर्गों में मार्च 2019 तक कुल संस्वीकृत पदों 3,749 के प्रति 1,230 रिक्त पद थे।

(परिच्छेद 3.3.2)

- विभिन्न विकासात्मक कार्यों के निष्पादन हेतु शहरी स्थानीय निकाय अनुदान के रूप में मुख्यतः (क) केन्द्रीय वित्त आयोग अनुदान (ख) राज्य वित्त आयोग अनुदान (ग) केंद्र सरकार अनुदान तथा (घ) राज्य सरकार अनुदान के रूप में निधियां प्राप्त करते हैं। इसके

अतिरिक्त करों, किरायों, शुल्कों इत्यादि के रूप में भी शहरी स्थानीय निकाय द्वारा राजस्व जुटाया जाता है। वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 में शहरी स्थानीय निकायों को क्रमशः ₹ 433.52 करोड़ एवं ₹ 794.91 करोड़ की निधियां आवंटित की गयी।

(परिच्छेद 3.4.1)

- वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 के दौरान हिमाचल प्रदेश राज्य लेखापरीक्षा विभाग द्वारा क्रमशः 25 एवं 26 शहरी स्थानीय निकायों की लेखापरीक्षा की गई जबकि शहरी स्थानीय निकायों की आंतरिक लेखापरीक्षा करने के लिए निदेशक, शहरी विकास के नियंत्रण में पृथक एवं स्वतंत्र आंतरिक लेखापरीक्षा एजेंसी का कोई प्रावधान नहीं है।

(परिच्छेद 3.6)

अध्याय-4: शहरी स्थानीय निकायों की लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 के दौरान क्रमशः दो नगर निगम, छः नगर परिषदों, चार नगर पंचायतों तथा दो नगर निगम, सात नगर परिषदों, पांच नगर पंचायतों की लेखापरीक्षा की गयी। अन्य बातों के साथ साथ शहरी स्थानीय निकायों की लेखापरीक्षा के मुख्य बिंदु निम्न है:

- अप्रभावी निगरानी के कारण 17 शहरी स्थानीय निकायों में ₹ 11.80 करोड़ के आवास कर राजस्व की वसूली नहीं की गई।

(परिच्छेद 4.5.1 (क))

- 21 शहरी स्थानीय निकायों में दुकानों, बूथों एवं स्टालों से ₹ 14.75 करोड़ के बकाया किराए की वसूली नहीं हुई।

(परिच्छेद 4.5.2)

- नगर निगम शिमला, दुकानों व स्टालों से ₹ 1.74 करोड़ की लीज राशि की वसूली करने में विफल रहा।

(परिच्छेद 4.5.5)

- अमृत के तहत ₹ 8.97 करोड़, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ₹ 2.67 करोड़ एवं राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत ₹ 1.00 करोड़ की निधियों का अवरोधन।

(परिच्छेद 4.6)

- तीन शहरी स्थानीय निकायों में 13वें व 14वें वित्त आयोग एवं चौथे राज्य वित्त आयोग के तहत ₹ 4.75 करोड़ की राशि अवरुद्ध रही।

(परिच्छेद 4.6.4)

- कार्य पूर्ण/ प्रारंभ न करने के कारण बारह नमूना-जांचित शहरी स्थानीय निकायों में ₹ 14.52 करोड़ की राशि अव्ययित रही।

(परिच्छेद 4.6.5)

- दो शहरी स्थानीय निकायों में सीवरेज योजनाओं हेतु प्राप्त ₹ 4.41 करोड़ की निधियों का अवरोधन जिससे जनता सीवरेज सुविधाओं से वंचित रही।

(परिच्छेद 4.6.6)

- नगर परिषद् नालागढ़ में 73 आवास आवंटित न करने के परिणामस्वरूप ₹ 3.12 करोड़ का अलाभकारी व्यय हुआ तथा ₹ 1.36 करोड़ के लाभार्थी अंश की वसूली नहीं हुई।

(परिच्छेद 4.8)

- दो शहरी स्थानीय निकायों में ₹ 3.97 करोड़ के उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं किये गये।

(परिच्छेद 4.14)

- छः शहरी स्थानीय निकायों ने 2015-18 के दौरान पिछले अग्रिमों का समायोजन किए बिना ₹ 32.21 करोड़ के अग्रिम स्वीकृत किए।

(परिच्छेद 4.16)